

आईएलआर पंजाब और हरियाणा(1988)2

वी. रामास्वामी, सीजे और जीआर मजीठिया से पहले, जे.

राम सरूप सहगल-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

पत्र पेटेंट अपील संख्या 1988 का 100

24 मई 1988.

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम (XXXIX) 1972—धारा 1(4)—ग्रेच्युटी—भुगतान—अधिनियम स्थापना पर लागू नहीं—कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त—अधिनियम का बाद में प्रवर्तन—ऐसे कर्मचारी का दावा—ऐसे दावे की योग्यता।

आयोजित, कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो स्थापना के संबंध में अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, न कि उन लोगों के संबंध में जो अधिनियम के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। (पैरा 6)।

दिनांकित आदेश के विरुद्ध लेटर पेटेंट के खंड एक्स के तहत पत्र पेटेंट अपील 18 जनवरी, 1988 को माननीय श्री न्यायमूर्ति जेवी गुप्ता द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 1443/1986 में पारित किया गया।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता यूएस साहनी।

प्रलय

यह विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक अपील है जिसने सिविल रिट याचिका संख्या 1443/1986 को खारिज कर दिया था।

(2) अपीलकर्ता 8 दिसंबर, 1971 को हरियाणा राज्य में नगरपालिका समिति, लाडवा की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 को केंद्र सरकार द्वारा धारा 1(4) के तहत एक अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था। यह अधिनियम 16 सितम्बर 1972 से प्रभावी है।

रानी सरूप सहगल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य(वी. रामास्वामी, सीजे)»

(3) अपीलकर्ता ने रिट याचिका में कहा है कि उसने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए वर्ष 1972 में ही नगरपालिका समिति, लाडवा को आवेदन दिया था, लेकिन उसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि नगरपालिका को कोई ग्रेच्युटी देय नहीं थी। राज्य में कर्मचारी इस कारण से कि नगरपालिका समिति अधिनियम के तहत एक 'प्रतिष्ठान' नहीं थी, और किसी भी मामले में यह अधिनियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं था जो अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। अपीलकर्ता वर्ष 1971 में सेवानिवृत्त हो गया। उसने नगरपालिका समिति लाडवा को उसे ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी करने के लिए वर्ष 1986 में रिट याचिका दायर करने का विकल्प चुना। मामले की सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि रिट

याचिका लगभग पंद्रह वर्षों की अवधि के बाद दायर की गई थी, और किसी भी मामले में कुंदन लाल नारंग बनाम हरियाणा राज्य (1) में फैसले का अनुपात था यह कि जो व्यक्ति ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के लागू होने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, वे केवल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार थे और उस दृष्टि से रिट याचिका खारिज कर दी गई।

(4) विद्वान वकील ने सेवानिवृत्त पेंशन से संबंधित डीएस नकारा बनाम भारत संघ (2) में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और दावा किया कि चूंकि ग्रेच्युटी एक कर्मचारी द्वारा अतीत में प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान था, वह ग्रेच्युटी के भुगतान का हकदार है। हम इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। यह वर्ष 1972 में लागू हुए अधिनियम के तहत पहली बार प्रदत्त वैधानिक अधिकार था, जो उससे पहले अस्तित्व में नहीं था। अधिनियम, शर्तों के अनुसार, केवल अधिनियम के लागू होने के बाद सेवानिवृत्ति के उन मामलों पर लागू होता है। अधिनियम की धारा 1(3) को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि अधिनियम प्रत्येक कारखाने, खदान, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह और रेलवे कंपनी और प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान पर लागू होगा जैसा कि उपधारा (3) में उल्लिखित है। (बी) अधिनियम की धारा 1, और ऐसे अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों का वर्ग, जैसा कि अधिनियम की धारा } की उपधारा (3) (सी) और उपधारा (3-ए) द्वारा परिकल्पित है। यदि अपीलकर्ता के विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो अधिनियम की प्रयोज्यता से संबंधित एक समान प्रावधान बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है क्योंकि यदि यह एक प्रतिष्ठान है तो यह सभी पर लागू होगा चाहे वे इसके प्रारंभ होने से पहले सेवानिवृत्त हुए हों या बाद में। अधिनियम। अधिसूचना लाने से अन्य प्रतिष्ठानों पर अधिनियम की प्रयोज्यता प्रभावित होगी।

(1) 1987 (2) पीएलआर 431।

(2) एआईआर 1983 एससी 130।

(5) इसके अलावा हमारा यह भी विचार है कि कुंदन लाई नारंग का मामला (सुप्रा) एक नगरपालिका समिति के कर्मचारियों के एक समूह से संबंधित मामला है जो अधिनियम के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त हो गए थे। ग्रेच्युटी के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि स्थानीय अधिकारियों को अधिनियम के तहत 'प्रतिष्ठानों' के रूप में बाद में ही अधिसूचित किया गया था। विद्वान न्यायाधीशों का अंतिम आदेश था कि स्थानीय अधिकारी अधिनियम के अर्थ में 'प्रतिष्ठान' थे और अधिसूचना अनावश्यक थी और इसलिए, हरियाणा में सभी नगरपालिका कर्मचारी जो अधिनियम के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त हो गए थे। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान का हकदार है।

(6) विद्वान वकील का तर्क है कि फैसले में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि "केवल" वे कर्मचारी जो अधिनियम के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, ग्रेच्युटी के हकदार होंगे, और इसलिए, फैसले का अनुपात नहीं होना चाहिए इसे यह मानते हुए माना गया कि केवल वे कर्मचारी जो अधिनियम के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार थे। विद्वान वकील इस प्रस्तुतिकरण में सही हो सकते हैं, लेकिन हम यह मानेंगे कि यदि अनुपात अन्यथा होता, तो विद्वान न्यायाधीश इस प्रश्न पर विचार किए बिना कि क्या अधिसूचना वैध थी या आवश्यक थी, और भले ही अधिनियम रहा हो, इस पर निर्णय ले सकते थे। अधिनियम के प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकारी को एक प्रतिष्ठान घोषित करने वाली सरकार की अधिसूचना द्वारा उस समय लागू किया गया, तब भी मामले में सभी याचिकाकर्ता ग्रेच्युटी के हकदार हैं क्योंकि उस तारीख के संदर्भ में भी जब अधिसूचनाएं लाई गई थीं प्रतिष्ठान के संबंध में लागू अधिनियम में वे कर्मचारी भी ग्रेच्युटी के हकदार हो सकते हैं जो उस तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अधिनियम केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। स्थापना के अधिनियम, न कि उन लोगों के संबंध में जो अधिनियम के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। तदनुसार अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

&.सी.के

*अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा